आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमण्डल, छपरा

आर्म्स अपीलवाद संख्या–94/2023

अवध बिहारी सिंह, पिता–स्व० राम जन्म सिंह।

बनाम

बिहार सरकार व अन्य।

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

वादी की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, सुनील कुमार प्रसाद एवं रवि रंजन कुमार पाण्डेय।

प्रतिवादी की तरफ से :–विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण।

आदेश

अनुसूची–14 फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
26.09.2024 **23.10.2024**	प्रस्तुत अपील आवेदक अवध बिहारी सिंह, पिता–स्व० राम जन्म सिंह, निवासी ग्राम–जतौर, थाना–गुठनी, जिला–सिवान द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक–134 / 2022 दिनांक–01.03.2023 जिसके तहत् आवेदक द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किये जाने के पश्चात उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस स्तर पर अपील आवेदन दाखिल की गई है। वाद का संक्षेप में विवरण यह है कि अपीलार्थी को N.P. Bore Rifle की शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा वर्ष 2002 में निर्गत की गई है। जिला दण्डाधिकारी, सिवान को अपीलार्थी के विरूद्ध थानाध्यक्ष गुठनी के ज्ञापांक–159 दिनांक–17.01.2023 से इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ की अपीलार्थी के विरूद्ध गुठनी थाना में कई मामलें दर्ज है, यथा गुठनी थाना कांड सं0–257 / 21 दिनांक–20.10.2021, गुठनी थाना कांड सं0–261 / 21, गुठनी थाना कांड सं0–335 / 21 एवं गुठनी कांड सं0–04 / 2023 और इन थाना काण्डों में अपीलार्थी प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये है, इसलिए इनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द की जाये। इस पर कार्रवाई करते हुए जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा अपीलार्थी को निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जिला दण्डाधिकारी, सिवान के उक्त	

WEB COPY NOT OFFICIAL

आदेश के विरूद्ध इस स्तर पर Arms Appeal No. 94/2023 दाखिल किया गया। उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान ही अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जिला दंडाधिकारी, सिवान के आदेश को निरस्त करने या इस स्तर से मामलें का शीघ्र निष्पादन के प्रार्थना के साथ CWJC No.5559/2024 दाखिल किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका का निष्पादन दिनांक–27.06.2024 को करते हुए निम्नवत् निदेश दिया गया।

"Having regard to the facts and circumstances of the case I deem it fit and proper to direct the Commissioner, Saran Division at Chapra to dispose off the aforesaid appeal filed by the petitioner, by passing a reasoned and a speaking order, in accordance with law within a Peroid of Six weeks of receipt/production of a copy of this order."

उक्त निदेश के अनुपालन मे वाद की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया गया। वाद के सुनवाई की दो तिथि, क्रमशः 06.09.2024 एवं 18.09.2024 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित रहें है, जिससे कि अपीलार्थी को अंतिम मौका के रूप में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–26.09.2024 निर्धारित किया गया।

निर्धारित तिथि को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर बहस किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया की अपीलार्थी एक राजनैतिक व्यक्ति है एवं इनकी पत्नी पूर्व में मुखिया रही है तथा वर्तमान में जिला परिषद् सदस्या है। इन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी के राजनीति में सक्रिय रहने के कारण इनके स्थानीय दुश्मनों द्वारा इन्हें फँसाने के उद्देश्य से इनके विरूद्ध झूठा केस दायर किया गया जिसके कारण इनकी शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दंडाधिकारी द्वारा रद्द कर दी गई है जिससे इनके स्वयं एवं इनके परिजनों की सुरक्षा खतरे में है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज सभी थाना कांडो में इनके विरूद्ध कोई स्पष्ट आरोप नहीं है एवं शस्त्र के दुरूपयोग का भी कोई मामला नहीं बनता है, परन्तु जिला दण्डाधिकारी उक्त कांडो का प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही शस्त्र

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की गई है जो की विधि सम्मत् नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलार्थी को पूर्व में जान से मारने की धमकी मिली है जिस पर गुठनी थाना कांड सं0–169/16 दर्ज हुआ था लेकिन इस तथ्य की अनदेखी की गई है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा की यद्यपि जिला दण्डाधिकारी द्वारा **अनुज्ञप्ति सं०–134/02** रद्द की गई है जबकि अपीलार्थी का शस्त्र **अनुज्ञप्ति सं0 559/2002** है फिर भी अपीलार्थी द्वारा नाम एवं पता सही होने के कारण अपना शस्त्र गुठनी थाना में जमा करा दिया गया है।

अन्त में विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना किया गया की सभी तथ्यों पर विचार करते हुए जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक की शस्त्र अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित किया जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, सारण द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलो का विरोध करते हुए पक्ष रखा कि आवेदक के विरूद्ध स्थानीय थाना में चार कांड दर्ज है, जिसमें में दो कांडो में शस्त्र अधिनियम की धारा लगाये जाने से यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग किया गया है इसलिए जिला दण्डाधिकारी का आदेश सुविचारित एवं वैध है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत दलील के समुचित विचारोपरांत यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की शस्त्र अनुज्ञप्ति जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा रद्द किये जाने का प्रमुख आधार थानाध्यक्ष, गुठनी द्वारा प्रेषित इस आशय का प्रतिवेदन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कुल चार मामले गुठनी थाना में भा०द०स० एवं आर्म्स एक्ट के विभिन्न धाराओं में दर्ज है तथा उन सभी कांडों में अपीलार्थी अभियुक्त है।

जिला दण्डाधिकारी, सिवान द्वारा पारित शस्त्र रद्दीकरण आदेश इस हद तक सही प्रतीत होता है, परन्तु जिला दण्डाधिकारी का आदेश जो कि ज्ञापांक–134/2022/शस्त्र, दिनांक–01.03.2023 द्वारा अपीलार्थी को संसूचित है, उसमें अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति

WEB COPY NOT OFFICIAL

सं०–134/2002 अंकित है, जबकि अपीलार्थी को निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति की सं०–559/02 है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी इस गंभीर त्रुटि की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसके समर्थन में अपीलार्थी को निर्गत शस्त्र पुस्तिका की छायाप्रति समर्पित की गई है, जिसमें आवेदक की **अनुज्ञप्ति सं०–559/2001–02** अंकित है। निश्चित रूप से इस तरह की आदेश में चूक गंभीर लिपिकीय भूल की श्रेणी में आता है, लेकिन अंतिम आदेश में ऐसी भूल अनुचित भी है।

उक्त के आलोक में वाद को **वापस Remand** किया जाता है। पूरे मामले की पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करें एवं सुनवाई हेतु आवेदक को समुचित अवसर प्रदान करते हुए पूरी तरह आश्वस्त हो लें कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अन्य आपराधिक मामले तो किसी स्तर पर लंबित नहीं है।

उक्त निदेश एवं **Observation** के साथ गुण–दोष पर विचार किये बिना ही प्रस्तुत अपीलवाद को **निस्तार (Disposed off)** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

आयुक्त।

WEB COPY NOT OFFICIAL